मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 10.08.2016

क्र. एफ 16-32/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स एसआरएफ लि. द्वारा रू. 630 करोड़ की स्थाई पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार में नवीन पोलिएस्टर फिल्म मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन तथा वृहद निवेश के दृष्टिगत विचारोपरांत परियोजना को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे:-

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत-

(i) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** प्रथम 10 वर्षों हेतु 100 प्रतिशत की दर से एवं अगले 5 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की सीमा तक दी जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

(ii) **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल के क्रय दिनांक से 10 वर्षो हेतु छूट दी जाएगी ।

(iii) **विद्युत शुल्क से छूट-** विद्युत शुल्क से 10 वर्षों हेतु छूट दी जाएगी ।

(iv) उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी प्रावधानित सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

2. **अन्य सुविधाएं-**

(i) **विद्युत टैरिफ पर रियायत-** विषयांकित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में आदेश प्रभावी होने के दिनांक से 7 वर्षों के लिये रू. 1 प्रति यूनिट की दर से प्रचलित विद्युत दर पर छूट दी जावे।

(ii) जीएसटी प्रणाली लागू होने पर परियोजना को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय पर चुकाये गए स्टेट जीएसटी (जिसमें प्रवेश कर भी शामिल है) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति (इनपुट क्रेडिक का शुद्ध) इस शर्त पर की जावेगी, कि चुकाई गयी कर राशि वास्तविक रूप से मध्यप्रदेश सरकार के कोष में एकत्रित हुई है। यह भी कि जीएसटी प्रणाली लागू होने पर स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति उस कर दर पर की जावेगी, जो उस विशिष्ट वस्तु पर प्रभार्य वर्तमान प्रचलित मूल्य संवर्धित कर/प्रवेश कर की दरों से अधिक नहीं होगी। यह भी कि सहायता राशि इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल पूंजी निवेश की राशि से अधिक नहीं होगी।

3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

निरंतर....

4. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का विशेष पैकेज का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-32/2015/बी-ग्यारह:

भोपाल दिनांक 10.08.201

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
6. कलेक्टर, जिला धार।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर ।
8. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स एस.आर.एफ. लि. (पैकेजिंग फिल्म बिजनेस), ब्लॉक-सी, सेक्टर-5, गुड़गॉव-1222003 ।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग